रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1994/चैत्र 10, 1916
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1994/CHAITRA 10, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

फा. सं. ए-12022/8/93—पी.ई.-I :—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 14-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी. रोकम, यातायात प्रबन्धक विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को कार्यकारी उपाध्यक्ष, विशाखापत्तनम, पत्तन न्यास में 21-01-94 से और तीन महीने तक या स्थाई पदाधिकारी अपना पद ग्रहण करें, जो भी पहले हो, तक नियुक्त करती है।

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

F. No. A. 12022|8|93-PE.I.—In exercise of the powers conferred by Section 14-A read with clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government approves the continuance of appointment of Shri V. Rokkam, Traffic Manager, as Acting Deputy Chairman, Visakhapatnam Port Trust for a further period of three months beyond 21-1-1994 or till regular incumbent joins whichever is earlier.

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994